न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 121/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/329

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.अशोक पुत्र सोनाराम 2.ममतादेवी पत्नि अशोक कुमार जाति लखारा निवासी पाटोदी तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		1.प्रभूलाल पुत्र सोनाराम 2.कन्हैयालाल पुत्र सोनाराम 3.समदादेवी पत्नि कन्हैयालाल जाति लखारा निवासी पाटोदी तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा 4.बाबुलाल पुत्र दुर्गाराम जाति प्रजापत निवासी चिलानाड़ी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 5.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

<u>उपस्थिति</u>

1.श्री जेठूलाल कुमावत अधिवक्ता वादीगण

2.प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 20.5.2025

संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा पाटोदी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 4417/4019 क्षेत्रफल 5.5037 हैक्टयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 16.2.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पाटोदी को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पाटोदी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पाटोदी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 4417/4019 क्षेत्रफल 5.5037 हैक्टयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.स.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	लगान	बचिन्ह
1	अशोक कुमार पुत्र सोनाराम जाति लखारा सा.देह खातेदार	पाटोदी	4417/4019	1.2140	0.89	A
2	कन्हैयालाल पुत्र सोनाराम जाति लखारा सा.देह खातेदार	पाटोदी	4417/4019	1.3759	1.01	B
3	प्रभूलाल पुत्र सोनाराम जाति लखारा सा.देह खातेदार	पाटोदी	4417/4019	1.3759	1.01	C
4	ममतादेवी पत्नि अशोककुमार 1/2 हिस्सा समदादेवी पत्नि कन्हैयालाल 1/2 हिस्सा जाति लखारा सा.देह खातेदार	पाटोदी	4417/4019	1.376	1.00	D
5	बाबुलाल पुत्र दुर्गाराम जाति प्रजापत सा.देह खातेदार	पाटोदी	4417/4019	0.1619	0.12	E

तहसीलदार,पाटोदी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर र जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 20.5.2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा 20/05/2025

सहायक कलक्टर (S.D.O.) ... कार्यालय ... बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 121/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2021/329

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.अशोक पुत्र सोनाराम 2.ममतादेवी पत्नि अशोक कुमार जाति लखारा निवासी पाटोदी तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		1.प्रभूलाल पुत्र सोनाराम 2.कन्हैयालाल पुत्र सोनाराम 3.समदादेवी पत्नि कन्हैयालाल जाति लखारा निवासी पाटोदी तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा 4.बाबुलाल पुत्र दुर्गाराम जाति प्रजापत निवासी चिलानाड़ी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 5.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः—53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 121/2021

निर्णय दिनांक :—20.5.2025

वादीगण की ओर से श्री जेठूलाल कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 20.5.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**—वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 20.05.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार पाटोदी को आदेश दिए जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

20/05/2025

(अशोक कुमार)

सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	----------
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस	--------	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	------	जोड़	--------

कार्यालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

20/05/05

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा